

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

प्रैस नोट

No.BSEH/SRS/2025

DATE- 31-01-2025

NOTIFICATION-52/2025

विषय:— सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा मार्च—2025 हेतु राजकीय/अराजकीय स्थायी/अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा गुरूकुल/विद्यापीठों से प्रायोगिक परीक्षा के अंक तथा INA/GLS/Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन लेने बारे।

सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च—2025 हेतु विद्यालयी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 03.02.2025 से दिनांक 18.02.2025 तक निर्धारित किया गया है। विद्यालयों से दिनांक 03.02.2025 से दिनांक 20.02.2025 तक प्रायोगिक परीक्षा तथा INA/ GLS (General Awareness and Life Skill Grade) / Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन प्राप्त किए जाने हैं। जिसके लिए विद्यालयों द्वारा बोर्ड वैबसाईट पर दिए गए लिंक पर विद्यालय की लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड का उपयोग करते हुए अंक ऑन—लाईन भरें जाने होंगे।

निर्धारित तिथि तक जो विद्यालय परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा एवं INA तथा GLS (General Awareness and Life Skill Grade) / Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन नहीं भेजेंगे, ऐसे विद्यालय 500 / — रु० प्रति परीक्षार्थी व अधिकतम 5000 / — रु० जुर्माने के साथ दिनांक 21.02.2025 से दिनांक 23.02.2025 तक अंक ऑन—लाईन भरना सुनिश्चित करें, इसके उपरान्त किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए विद्यालय मुखिया स्वंय जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय मुखिया यह सूचना (यदि कोई ऐसा मामला हो तो केवल उनके लिए) उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें कि "जिन विद्यालयी परीक्षार्थियों का चयन राज्य/राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खेलों में हुआ है तथा ऐसे परीक्षार्थी परीक्षाओं की निर्धारित तिथियों में किसी विषय/विषयों की परीक्षाओं में अपीयर नहीं हो सकते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों की सूची सम्बन्धित विद्यालय साक्ष्यों सहित बोर्ड कार्यालय में परीक्षाओं के आरम्भ होने से 10 दिन पूर्व उपलब्ध करवाए ताकि उनकी पुनः परीक्षाएं आयोजित करवाने से संबंधित कार्यवाही की जा सके।" अतः सभी विद्यालय मखिया समय रहते कार्यवाही करना सनिश्चित करें।

सचिव







